निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

मु0नं0 05/19

निर्णय दिनांक 20.10.2020

1. श्रीमती बिमला देवी पत्नी भालाराम ।
2. श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी सुभाषचन्द।
3. श्रीमती कविता पत्नी मदनलाल।

समस्त जाति मेघवाल निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्टस

बनाम

1. श्रीमती भरपाई पुत्री स्व0 सुरजाराम।
2. श्रीमती मनभरी पत्नी स्व0 सुरजाराम।
3. श्रीमती मेवा पुत्री स्व0 सुरजाराम।
4. श्रीमती बिमला पुत्री स्व0 सुरजाराम।
5. श्रीमती समाकौर पुत्री स्व0 सुरजाराम।
6. श्री धर्मपाल पुत्र गणपत।
7. श्रीमती भाती पत्नी रूपचन्द।
8. श्री राजेन्द्र पुत्र रूपचन्द।
9. श्रीमती राजबाला पत्नी वेदप्रकाश।
10. श्री विनोद पुत्र रूपचन्द।

समस्त जाति मेघवाल निवासीयान ख्यालियों की ढ़ाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

11. ग्रामं पंचायत काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
12. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

———रेस्पोडेन्टस

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलान्टस – श्री संदीप मान
रेस्पोडेन्टस –श्री सुनिल शर्मा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू:राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है की जमीन हाल खसरा न0 201/5 रकबा 1.88 है0, खसरा न0 7 रकबा 1.76 है0, खसरा न0 199/2 रकबा 0.02 है0, खसरा न0 203/5 रकबा 0.02 है0, खसरा न0 3 रकबा 0.03 है0 गैर मुमकिन कुआ वाके ग्राम ख्यालियों की ढ़ाणी में स्थिति है। उक्त कृषि भूमि में रेस्पोडेन्टस न0 1 लगायत 5 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त थी । जमीन हाल खसरा नंबर 201/5 रकबा 1.88 है0 सम्पूर्ण तथा हाल खसरा न0 7 रकबा 1.76 है0 मे से रेस्पोडेन्टस न0 1 लगायत 5 ने अपना 1/2 हिस्सा तथा जमीन हाल खसरा न0 199/2 रकबा 0.02 है0 हाल खसरा न0 203/5 रकबा 0.02 है0 हाल खसरा न0 3 रकबा 0.03 है0 में से रेस्पोडेन्टस न0 1 लगायत 5 जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2019 व विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2019 से अपीलान्ट न0 1 व 2 ने 1/4–1/4 हिस्सा तथा अपीलान्ट न0 3 ने 1/2 हिस्सा क्रय किया और क्रय के रोज से रेस्पोडेन्टस न0 1 लगायत 5 ने अपीलान्टस का कब्जा काश्त करवा दिया तथा प्रतिफल जरिये चैको द्वारा प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उक्त विक्रय पत्रों द्वारा क्रय की गई भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:56:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

अपीलान्टस कब्जा काश्त हो गई। विक्रय पत्रों दिनांक 18.10.2019 च 22.10.2019 के आधार पर अपीलान्टस ने हल्का पटवारी से नामान्तरण दर्ज करवाने बाबत पेश की है जिसने बाद जॉच विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरण संख्या 337 दिनांक 20.11.2019 हो भर कर हल्का भू–अभिलेख के पास पेश किया जिसने सही अंकन कर हस्ताक्षर कर दियें। फिर रेस्पोडेन्ट न0 11 ग्राम पंचायत काकोड़ा में पेश किया जिस पर संरपच ने नोट लगाया की प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.11.2019 में विकेतागण खसरा न0 3 रकबा 0.03 है0 में हिस्सा 1/5 , खसरा न0 299/2 रकबा 0.0 है0 में हिस्सा 1/5, खसरा न0 203/5 रकबा 0.02 है0 में हिस्सा 1/5, खसरा न0 201/2 रकबा 1.88 है0 सम्पूर्ण तथा खसरा न0 7 रकबा 1.76 है0 में हिस्सा 11/12 का बेचान किया गया । खसरा न0 7 पर विकेतागण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा अन्य व्यक्तियों का कब्जा है तथा पक्के मकान बनाकर निवास कर रहें हैं । बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा आपसी विचार विमर्श कर खसरा न0 3,209/2, 303/5,201/2 नामान्तरकरण स्वीकृत तथा खसरा न0 7 में कब्जा नहीं होने के कारण नामान्तरकरण खारीज किया जाता है। उक्त नोट अंकित कर नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 20.11.2019 को खारीज कर दिया है इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

न्याय़ालय संरपच ग्राम पंचायत काकोड़ा के आदेश दिनांक 20.11.2019 के खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। जबकि अपीलान्टस द्वारा जरिये विक्रय पत्र भूमि कय की गई है । विक्रय के रोज से अपीलान्टस कय की गई भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम पंचायत काकोड़ा ने बिना कोई जॉच किये तथा बिना किसी के शिकायत किये जान बूझकर राजनीतिक प्रभाव में आकर अपीलान्टस का नामान्तरकरण संख्या 337 गलत खारिज किया गया है। संरपच ग्राम पंचायत ने यह दर्ज नहीं किया की अपीलान्टस का कब्जा काश्त किस आधार पर नहीं है। संरपच ग्राम पंचायत काकोड़ा को विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खारिज करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर नामान्तरकरण संख्या 337 में दर्ज खसरा न0 7 का खारिज किया हैं। अपीलान्टस को न कोई सुनवाई का अवसर दिया तथा न ही साक्ष्य ली गई इससे साफ जाहीर होता है की संरपच न जान–बूझकर खारिज किया है जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। इस अपील को सुनने का हक अदालत हाजा को है। रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 5 विकेता है तथा रेस्पोडेन्टस 6 लगायत 10 जमीन खसरा न0 7 के कोटिनेन्टस होने से तथा रेस्पोडेन्टस न0 11 ग्राम पंचायत होने से रेस्पोडेन्टस बनाया गया हैं।

अतः अपील अपीलान्टस [illegible] अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत काकोड़ा के आदेश दिनांक [illegible]1.20[illegible] नामान्तरकरण संख्या 337 में पारित आदेश जमीन खसरा न0 7 रकबा 1.76 है0 [illegible] ख्यालियों की ढ़ाणी को निरस्त कर विक्रय पत्र अपीलान्टस दिनांक 18.10.2019 व विक्र[illegible]त्र दिनांक 22.10.2019 के आधार पर हाल खसरा न0 201/5 रकबा 1.88 है0 स्थित ख्यालियों की ढ़ाणी तहत तहसील सूरजगढ़ में अपीलान्ट न0 1 का 1/4 हिस्सा , अपीलान्ट न0 2 का 1/4 हिस्सा, अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:56:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

न0 3 का 1/2 हिस्सा तथा जमीन हाल खसरा न0 7 रकबा 1.76 है0 स्थिति ख्यालियों की ढ़ाणी में अपीलान्ट न0 1 का 1/4 हिस्सा, अपीलान्ट न0 2 का 1/4 हिस्सा, अपीलान्ट न0 3 का 1/2 हिस्सा दर हिस्सा 11/12 हिस्सा तथा जमीन हाल खसरा न0 199/2 रकबा 0.02 है0 , हाल खसरा न0 203/2 रकबा 0.02 है0, हाल खसरा न0 3 रकबा 0.03 है0 में अपीलान्ट न0 1 का 1/4 हिस्सा, अपीलान्ट न0 2 का 1/4 हिस्सा, अपीलान्ट न0 3 का 1/2 हिस्सा दर हिस्सा 1/5 हिस्सा का नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश रेस्पोडेन्ट न0 12 तहसीलदार को दिया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तारीख की सूचना की गई। रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 5 व 11 जरिये वकील उपस्थित आये तथा कोई जवाब पेश नहीं किया । शेष रेस्पोडेन्टस हाजिर नहीं हुए इसके पश्चात बहस अपील सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्टस ने अपील के तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए बहस में तर्क दिया की अपीलान्टस द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2019 व 22.10.2019 से अपीलान्टस न0 1 व 2 ने 1/4–1/4 हिस्सा तथा अपीलान्टस न0 3 ने 1/2 हिस्सा क्रय किया । विक्रय पत्रों के आधार पर अपीलान्टस का मौके पर कब्जा काश्त करवा दिया । जिसका नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत पटवारी हल्का द्वारा भर कर बाद जॉच भू–अभिलेख निरीक्षक के नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 20.11.2019 को संरपच ग्राम पंचायत काकोड़ा में पेश किया परन्तु संरपच ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई जॉच किये तथा राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलान्टस का नामान्तरकरण संख्या 337 जमीन हाल खसरा न0 7 रकबा 1.76 है0 के बाबत गलत खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत काकोड़ा को विक्रया पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खारिज करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 337 खारिज फरमाया जाकर विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवायें जाने का आदेश दिया जावें। अधिवक्ता अपीलान्टस ने दौराने बहस न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2016 (1) 296 पेश की ।

पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अपीलान्टस के तथ्यों से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत काकोड़ा के आदेश दिनांक 20.11.2019 नामान्तरकरण संख्या 337 में पारित आदेश जमीन खसरा न0 7 रकबा 1.76 है0 वाके ग्राम ख्यालियों की ढ़ाणी को निरस्त कर विक्रय पत्र अपीलान्टस दिनांक 18.10.2019 व विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2019 के आधार पर हाल खसरा न0 201/5 रकबा 1.88 है0 स्थित ख्यालियों की ढ़ाणी तहत तहसील सूरजगढ़ में अपीलान्ट न0 1 का 1/4 हिस्सा , अपीलान्ट न0 2 का 1/4 हिस्सा, अपीलान्ट न0 3 का 1/2 हिस्सा तथा जमीन हाल खसरा न0 7 रकबा 1.76 है0 स्थिति ख्यालियों की ढ़ाणी में अपीलान्ट न0 1 का 1/4 हिस्सा, अपीलान्ट

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:36:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न0 2 का 1/4 हिस्सा, अपीलान्ट न0 3 का 1/2 हिस्सा दर हिस्सा 11/12 हिस्सा तथा जमीन हाल खसरा न0 199/2 रकबा 0.02 है0, हाल खसरा न0 203/2 रकबा 0.02 है0, हाल खसरा न0 3 रकबा 0.03 है0 में अपीलान्ट न0 1 का 1/4 हिस्सा, अपीलान्ट न0 2 का 1/4 हिस्सा, अपीलान्ट न0 3 का 1/2 हिस्सा दर हिस्सा 1/5 हिस्सा का नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:56:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner